

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

शुक्राचपुरा  
श्रीमान जी, पं०-शुक्राचपुरा के जमान  
ग्राम शुक्राचपुरा के खाता नं० 312 में साधूराम पु० लिखमारा मजदूर  
हैं सल्लान दस्तावेजों के माध्यम पर प्रार्थी का नाम श्रीमान  
पु० लिखमारा राम शुद्ध किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :- 10/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने की अभिराप्ता की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

10/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

1179  
10-11-21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला दुहुनु (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 10/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	शुक्राचपुरा	2075 ले 2078	312	साधूराम पु० लिखमारा	श्रीमान पु० लिखमारा राम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 10/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 986-87

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचना

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी